जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा : कोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हिरासत में मौत के एक संवेदनशील मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि हिरासत में मौत सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर गहरा आघात है। अदालत ने इस मामले में दोषी थाना प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मियों की उम्रकैद की सजा को घटाकर 10 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया। न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी की खंडपीठ ने कहा कि, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो यह समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है।

शराब के नशे में था युवक, हिरासत में मौतः मामला वर्ष 2016 का है। जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम नरियरा निवासी सतीश नोरगे को मुलमुला थाने की पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा करने के आरोप में हिरासत में लिया था। पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में उसके शरीर पर 26 चोटों के निशान पाए गए।

हाई कोर्ट में की अपील सजा में दी राहत

फैसले के खिलाफ सभी आरोपितों ने हाई कोर्ट में अपील की। साथ ही मृतक सतीश की पत्नी ने इस सजा के खिलाफ आपत्ति जताते हुए हस्तक्षेप याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने पाया कि हत्या की पूर्व मंशा सिद्ध नहीं हो पाई, लेकिन आरोपित यह जानते थे कि शारीरिक प्रताड़ना से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस आधार पर अदालत ने इसे गैर इरादतन हत्या (आइपीसी 304 भाग-1) माना और उम्रकैद की सजा को घटाकर 10 साल के कठोर कारावास में बदल दिया।

एससी-एसटी एक्ट के आरोप से बरी

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपित जानते थे कि मृतक अनुसूचित जाति से संबंधित है। इसलिए अदालत ने एससी-एसटी एक्ट की धाराएं हटाते हुए थाना प्रभारी को इस आरोप से बरी कर दिया।

स्पेशल कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद

घटना की जांच के बाद थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह राजपूत, आरक्षक सुनील ध्रुव, दिलहरण मिरी व सैनिक राजेश कुमार के खिलाफ आइपीसी की धारा 302, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। सुनवाई करते हुए एट्रोसिटी स्पेशल कोर्ट ने साल 2019 में चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।